

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

14 DEC 2017

क्रमांक प.1(4)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक

:: अधिसूचना ::

मननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (2003 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा कॉलम संख्या 2 में वर्णित न्यायालयों को उनके सामने कॉलम संख्या 3 में वर्णित अपील किराया अधिकरण के रूप में गठित करती है, इनका क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 में वर्णित अनुसार होगा:-

क्र०सं०	वर्तमान न्यायालय का नाम	किराया अधिकरण का नाम	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	जिला एवं सत्र न्यायालय, चूरु	अपील किराया अधिकरण, चूरु	सरदारशहर
2.	जिला एवं सत्र न्यायालय, अलवर	अपील किराया अधिकरण, अलवर	भिवाडी

राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR.

No. Gen./II/13/2003/1662

Dated: 19/12/2017

Copy forwarded to following for information & necessary action:-

- 1.All Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench, Jaipur.
Registrar (Classification)/ CPC with a request to upload the same at Rajasthan High Court website.
- 2.District and Session Judges, Churu & Alwar.
- 3.Sr. Civil Judge-Chief Judicial Magistrate, Churu & Alwar
- 4.Sr.Civil Judge -Additional Chief Judicial Magistrate, Tijara (Alwar).
- 5.Director/ Joint Secretary, Local Self Department, Jaipur.
- 6.Administrative Officer Judicial, Confidential/ RJS (Estt.) Section, Subordinate (Estt.) Section, Statistics Section, Building, Budget, computer cell (for update & mail to concerned DJ), Rajasthan High Court, Jodhpur.


REGISTRAR (RULES)